प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय–समय पर यथा संसोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971–क की धारा 19–क के अंतर्गत तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखपरीक्षा परिणामों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है ।

2. सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है । राज्य के सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा का संचालन वहाँ के विधान के अनुसार किया जाता है ।

3. इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो 2012–13 की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा वह भी जो विगत वर्षो में ध्यान में आये थे । परन्तु उन्हे पिछले प्रतिवेदन में समाविष्ट नहीं किया गया था। जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ 2012–13 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

4. लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।